

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम

दिनांक 29/4/26

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 ता 14, 16, 17 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 29/4/26 को उमा मित्तल आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसील पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक रीडर/राजस्व/2026/78 दिनांक 25.12.26 के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत अन्तिम डिक्री किया जाकर निम्न अनुसार खाता विभाजन किया जाता है—

1. पृथ्वीराज पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली खातेदार:— तहसील पीलीबंगा के चक 36 एजडीआर प.न. 92/343 मु.न. 3 किला न. 2-3-8-9 की 1.012 है. , 10/1/.228, 11/2/.114, 12/.126, 13/.127 कुल 1.835 है. कमाण्ड
2. कुलदीप कुमार—सन्दीप कुमार पिसरान बनवारी लाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली खातेदार:—चक 36 एनडीआर के प.न. 92/343 मु.न. 3 किला न. 11/2/.114, 12/.127, 13/.126, 18-19/.506, 20/2/.228, 21/2/.228, 22-23/.506 है कुल 1.835 है. कमाण्ड
3. रामप्रताप—कालुराम—बलराम पिसरान चतरुराम 3/4 हिस्सा बहिब कुलदीप —प्रहलाद—राजेश पिसरान सुल्तान 1/4 हिस्सा बहिब जाति जाट साकिन पण्डितावाली खातेदार:— चक 36 एनडीआर प.न. 91/343 मु.न. 4 किला न. 4-5/.506 है. कुल .506 है. कमाण्ड—अनकमाण्ड मय गैर.मु. खाला ।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेंगे। यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 29/4/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

—:वाद के खर्चे:—

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	— —	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —	अर्जि के लिए स्टाम्प	— —
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	— —	रूपये पर प्लीडर की फीस	— —
रूपये पर प्लीडर की फीस	— —	आदेशिका की तामिल	— —
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —	कमिश्नर की फीस	— —
कमिश्नर की फीस	— —	योग	— —